

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

9/12/2022
राजेन्द्र

तारीख रजु.....

बनाम

गोपालराम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.01.2022	<p>वकील प्रार्थी उपरिथत। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केंस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 2116, 2117,2118,2125, 2134, 2137, 2141, 2269, 2270, 2270/2626, 1768, 1770, 1771, 1773, 1784, 1825, 1829, 2127, 2132, 2139, वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोइ उज्र हो तो दिनांक 31.01.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 31.01.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>29/4/24</p> <p>14/5/24</p>	<p>साथिक आवेग विभाग 13-1-22</p> <p>की बालम में पत्रा भी खासत तलब (14/5/24) से 14</p> <p>विभाग 14/5/24 को लो हो।</p> <p>ज</p> <p>पत्राण्ड ठलिकाके</p> <p>करीब जमी उपाधित नही आपे व करीब जमी का</p> <p>वाट-2 कावाज डिलाई गडि वेडि उपाधित</p> <p>नही आपे। करीब जमी को अ कम पैसी-</p> <p>अदम हाजरी के 30 फ 32200 इमी (1-1-24)</p> <p>पर खासत छिया जाता है। 14/5/24 के मल</p> <p>मुफ्त सेक नम्बर से करीब हुक्म</p> <p>A SDO</p> <p>14/5/24</p>